

न्यायालय— जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, हरिद्वार ।

वाद योजित तिथि — 29-01-2024

अंतिम सुनवाई तिथि — 29-07-2026

निर्णय उद्घोषित तिथि — 19-08-2026

शिकायत संख्या :- DC/50/CC/12/2024

अमन पुत्र श्री सौरभ निवासी—मकान नं०-32, सत्यम विहार कॉलोनी, भूपतवाला,

हरिद्वार, तहसील व जिला हरिद्वार परिवादी ।

श्री नाजिम अली एडवोकेट

..... परिवादी ।

बनाम

1— मायरा एन्टरप्राइजेज द्वारा प्रोपराईटर गौरव वर्मा, जी-02, श्रृष्टि कॉम्प्लैक्स,

रानीपुर मोड, हरिद्वार जिला हरिद्वार ।

2— सैमसंग सर्विस सेन्टर स्थित शंकर आश्रम चौक, अवधूत मण्डल हरिद्वार,

तहसील व जिला हरिद्वार द्वारा प्रबन्धक ।

3— सैमसंग इण्डिया प्रा० लि०, स्थित फेस-2, 1 ब्लॉक बी, सेक्टर-81, नोएडा,

उत्तर प्रदेश द्वारा प्रबन्धक..... विपक्षीगण ।

श्री राजेश वर्मा एडवोकेट

..... विपक्षी नं०- 3

विपक्षी नं०-1 व 2 की ओर से कोई नहीं ।

कोरम :-

श्री गगन कुमार गुप्ता — अध्यक्ष

डा० अमरेश रावत — सदस्य

श्रीमती रंजना गोयल — सदस्य

अंतिम सुनवाई की तिथि पर पक्षकारों की उपस्थिति :-

परिवादी की ओर सेश्री नाजिम अली एडवोकेट ।

विपक्षी नं०-3 की ओर सेश्री राजेश वर्मा एडवोकेट ।

विपक्षी नं०-1 व 2 की ओर से....कोई नहीं ।

उद्घोषित द्वारा :- श्रीमती रंजना गोयल (सदस्य)

निर्णय

1- परिवादी द्वारा यह परिवाद इस आयोग के समक्ष विपक्षीगण से निम्न अनुतोष दिलाये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है :-

(अ) यह कि परिवादी को प्रश्नगत मोबाइल के बदले नया मोबाइल अथवा उसके एवज में अदा की गयी धनराशि अंकन 75,000/-रु० विपक्षीगण से वापस दिलवायी जाये ।

(ब)- यह कि परिवादी को विपक्षीगण से, उनके कृत्य से हुई मानसिक व आर्थिक क्षतिपूर्ति के रूप में अंकन 50,000/-रु० की धनराशि दिलवायी जाये ।

(स) यह कि वाद व्यय के रूप में अंकन 10,000/-रु० की धनराशि परिवादी को विपक्षीगण से दिलवायी जाये ।

2- संक्षेप में परिवादी का कथन यह है कि उसने दि०-30-12-2022 को विपक्षी सं०-1 से विपक्षी सं०-3 सैमसंग कम्पनी का एक मोबाइल जैड पिलप 3, 5^{जी} 8/128 अंकन 75,000/-रु० में क्रय किया था, जिसकी एक वर्ष की गारण्टी थी । उक्त मोबाइल कुछ समय तक तो सही कार्य करता रहा परन्तु उसके बाद उस मोबाइल की डिस्पले ब्लैक होने लगी और आवाज भी कम आ रही थी । मोबाइल की बैटरी, बैकअप भी कम दे रही थी । उसने विपक्षी सं०-1 को उक्त समस्या के लिए सूचित किया । उक्त मोबाइल की गारण्टी 30-12-2023 तक है । परिवादी उक्त मोबाइल को लेकर विपक्षी सं०-1 के पास गया तो विपक्षी नं०-1 ने कहा कि विपक्षी नं०-2 के पास जाओ, मोबाइल सही हो जाएगा । परिवादी दिनांक 24-11-2023 को सैमसंग केयर विपक्षी सं०-2 के पास गया और मोबाइल ठीक कराने की इच्छा जाहिर की । विपक्षी नं०-2 ने परिवादी का मोबाइल लेकर ऑन लाईन चैक करने पर बताया कि उक्त मोबाइल की वारण्टी दिनांक 14-11-2023 तक थी जोकि खत्म हो चुकी है । विपक्षी नं०-2 ने इसस कारण मोबाइल ठीक नहीं किया । परिवादी पुनः विपक्षी नं०-1 के पास गया तो विपक्षी नं०-1 ने कहा कि आपके सैमसंग मोबाइल की वारण्टी खत्म हो गयी है । विपक्षी नं०-1 ने परिवादी के साथ अभद्र व्यवहार किया । विपक्षी नं०-1 ने पुरानी वारण्टी का सैमसंग मोबाइल दे दिया, जिससे परिवादी को मानसिक व शारीरिक संताप हुआ । विपक्षीगण का उक्त कृत्य सेवा में कमी की परिभाषा के अन्तर्गत आता है । अतः परिवादी को आयोग के समक्ष वर्तमान परिवाद प्रस्तुत करने की स्थिति उत्पन्न हुई ।

परिवादी ने शिकायत के साथ सूची कागज सं0-7 के द्वारा मोबाइल क्रय करने की रसीद दिनांकित 30-12-2022 की छायाप्रति, जोबकार्ड की छायाप्रति व विपक्षी से हुए पत्राचार की छायाप्रति प्रस्तुत की जो कागज सं0-7/1 ता 7/4 के रूप में पत्रावली पर उपलब्ध है ।

3- विपक्षी नं0-3 की ओर से शिकायत के विरुद्ध अपना जवाबदावा कागज सं0-15/1 ता 15/6 पत्रावली पर प्रस्तुत किया गया, जिसमें उन्होंने परिवाद को सिरे से अस्वीकार करते हुए यह कथन किया है कि परिवादी को विपक्षी सं0-3 के विरुद्ध वाद विवाद का कोई आधार प्राप्त नहीं है । परिवादी का परिवाद विपक्षी नं0-1 के विरुद्ध है, जिससे परिवादी ने दिनांक 30-12-2022 को मोबाइल खरीदा था । लेकिन बाद में पता चला कि उक्त मोबाइल को खरीदने से पहले अर्थात् 14-11-2022 को सक्रिय किया गया था और उक्त मोबाइल की एक वर्ष की वारण्टी दि0-14-11-2023 को समाप्त हो गयी थी । विपक्षी नं0-1 ने परिवादी को उक्त मोबाइल अपनी स्वतंत्र क्षमता में बेचा था । जबकि विपक्षी सं0-3 निर्माता होने के कारण केवल उत्पाद की गुणवत्ता और वारण्टी लाभों के लिए ही जिम्मेदार है । परिवादी का परिवाद उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत "उपभोक्ता विवाद" की परिभाषा में नहीं आता है । क्योंकि प्रश्नगत मोबाइल में कोई विनिर्माण दोष सिद्ध नहीं हुआ है । परिवादी ने विनिर्माण दोष सिद्ध करने के लिए प्रयोगशाला से किसी विशेषज्ञ की राय साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं की है । अगर परिवादी के आरोपों को सत्य मान भी लिया जाये तो भी यदि कोई दोष है तो उसे मरम्मत कार्य द्वारा ठीक किया जा सकता है । उत्पाद की लागत की वापसी का कोई निर्देश नहीं जारी किया जा सकता है । मात्र किसी पुर्जे को बदला जा सकता है या किसी दोष को दूर किया जा सकता है तथा प्रतिस्थापन का आदेश नहीं दिया जा सकता है । विपक्षी नं0-3 डीलरों के साथ मुख्य से मुख्य आधार पर उत्पादों की बिक्री का व्यवसाय करता है । विपक्षी नं0-3 का विक्रेता/डीलर के व्यवसाय में कोई हस्तक्षेप या नियंत्रण नहीं है । यह कि बाजार में एक सुप्रसिद्ध उत्पाद है और मोबाइल में किसी भी खराबी के विरुद्ध वारण्टी के साथ है और यदि कोई समस्या उत्पन्न होती है तो खरीद की तारीख से एक वर्ष तक उत्पाद निःशुल्क रिपेयर किया जायेगा । वारण्टी निर्माता द्वारा कुछ नियमों और शर्तों के तहत प्रदान की जाती है, जिनका ग्राहकों को पालन करना आवश्यक है । प्रश्नगत मोबाइल पहली बार दि0-14-11-2022 को सक्रिय किया गया था इसलिए दिनांक 30-12-2022 को इस मोबाइल की बिक्री को नए सीलबंद बिक्री नहीं माना जा सकता है । क्योंकि विपक्षी सं0-3 डीलर/विक्रेताओं को मोबाइल सीलबंद और पैकड अवस्था में बेचता है और ग्राहकों को आगे उसी सीलबंद पैकड अवस्था में बेचे जाते हैं । जैसे ही कोई ग्राह उस सीलबंद और पैकड मोबाइल को अनपैकड करके सक्रिय करता है और मोबाइल इन्टरनेट से जैसे ही कनेक्ट होता है, मोबाइल की सक्रिय तिथि विपक्षी सं0-3 के सिस्टम में स्वतः ही दर्ज हो जाती है । परिवादी ने विपक्षी नं0-3 के विरुद्ध कोई शिकायत

नहीं की है । विपक्षी नं०-1 एवं परिवादी के बीच मोबाइल का विक्रय हुआ था । विपक्षी नं०-3 का इसमें कोई दोष नहीं है और विपक्षी नं०-3 की ओर से परिवादी की सेवा में कोई कमी नहीं की गयी है । अतः परिवादी का यह परिवाद विपक्षी नं०-3 के विरुद्ध निरस्त होने योग्य है ।

विपक्षी नं०-3 ने अपने जवाबदावा के साथ **Mr. Sandeep Sahijwani** का शपथपत्र कागज सं०-15/7 प्रस्तुत किया । साथ में उसने वारण्टी कार्ड की छायाप्रति तथा जवाब नोटिस दिनांकित 09-01-2024 की प्रति प्रस्तुत की, जो कागज सं०-15/8 ता 15/11 के रूप में पत्रावली पर उपलब्ध हैं ।

4- परिवादी की ओर से अपने कथनों की पुष्टि हेतु अपना साक्ष्य शपथपत्र कागज सं०-16/1 ता 16/3 प्रस्तुत किया गया ।

5- खण्डन में विपक्षी नं०-3 की ओर से **Mr. Sandeep Sahijwani** का शपथपत्र कागज सं०-17/1 ता 17/4 प्रस्तुत किया ।

6- इसके बाद परिवादी की ओर से अपनी लिखित बहस कागज सं०-18/1 ता 18/3 पत्रावली पर उपलब्ध करायी गयी ।

7- इस प्रकरण में विपक्षी नं०-1 व 2 की ओर से शिकायत के विरुद्ध न तो कोई जवाबदावा दाखिल किया गया और न ही उनकी ओर से अपना कोई साक्ष्य शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है, जिस कारण दिनांक 13-08-2025 को उनके जवाबदावे का अवसर समाप्त किया गया और इसके बाद विपक्षी नं०-1 व 2 के साक्ष्य शपथपत्र का अवसर आयोग के आदेश दिनांकित 11-05-2026 के द्वारा समाप्त किया गया तथा आदेश दिनांकित 29-07-2026 के द्वारा विपक्षी नं०-1 व 2 के विरुद्ध परिवाद की कार्यवाही एकपक्षीय रूप से अग्रसारित की गयी है ।

8- पीठ द्वारा परिवादी एवं विपक्षी नं०-3 के विद्वान अधिवक्तागण के मौखिक तर्कों/बहस को सुना गया तथा पत्रावली का समग्र परिशीलन किया ।

9- प्रस्तुत परिवाद में परिवादी द्वारा विपक्षी सं०-1 से विपक्षी नं०-3 सैमसंग कम्पनी का मोबाइल क्रय किया जाना स्वीकृत तथ्य है । अतः परिवादी एवं विपक्षीगण के मध्य उपभोक्ता एवं सेवा प्रदाता के सम्बन्ध होना विद्यमान है । ऐसी स्थिति में इस परिवाद के श्रवण का क्षेत्राधिकार इस आयोग को प्राप्त है ।

10- मुख्य विचारणीय प्रश्न है कि क्या परिवादी के प्रश्नगत मोबाइल को वारण्टी के अनुसार रिपेयर न करके विपक्षीगण द्वारा परिवादी के प्रति सेवा में कमी कारित की गयी?

11- परिवादी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि परिवादी ने विपक्षी सं०-1 से दिनांक 30-12-2022 को सैमसंग कम्पनी का एक मोबाइल 75,000/-रु० में क्रय किया गया था तथा उक्त मोबाइल की एक वर्ष की वारण्टी थी । प्रश्नगत मोबाइल ने कुछ समय तक तो सही कार्य किया परन्तु उसके बाद मोबाइल की डिस्पले ब्लैक होने लगी और आवाज कम आ रही थी तथा बैटरी बैकअप भी कम दे रही थी । परिवादी ने विपक्षी सं०-1 को बताया तो विपक्षी सं०-1 ने विपक्षी सं०-2 के पास जाने को कहा । परिवादी विपक्षी सं०-2 सर्विस सेन्टर पर गया तो विपक्षी सं०-2 ने ऑन लाईन चैक करके बताया कि उक्त मोबाइल की वारण्टी दि०-14-11-2023 को ही समाप्त हो गयी है और परिवादी का मोबाइल बिना ठीक किये वापस कर दिया । जबकि परिवादी जब मोबाइल लेकर गया था तो उसका उक्त मोबाइल वारण्टी अवधि में था । विपक्षीगण का उक्त कृत्य सेवा में कमी है ।

12- इस सम्बन्ध में विपक्षी नं०-3 का तर्क है कि परिवादी ने विपक्षी सं०-1 से दिनांक 30-12-2022 को उक्त मोबाइल क्रय किया था, लेकिन उक्त मोबाइल को क्रय किये जाने से पहले दिनांक 14-11-2022 को ही वह सक्रिय किया गया था और उक्त मोबाइल की एक वर्ष की वारण्टी दिनांक 14-11-2023 को ही समाप्त हो गयी थी । विपक्षी नं०-1 ने उक्त मोबाइल अपनी स्वतंत्र क्षमता में परिवादी को विक्रय किया है । विपक्षी नं०-1 और विपक्षी नं०-3 के बीच प्रिंसिपल-टू-प्रिंसिपल के सम्बन्ध हैं । विपक्षी सं०-1 के कार्यों के लिए विपक्षी सं०-3 उत्तरदायी नहीं है । अगर उक्त मोबाइल वारण्टी अवधि में खराब होता है तो विपक्षी सं०-3 निःशुल्क मरम्मत करने के लिए उत्तरदायी था । परिवाद ने विपक्षी सं०-3 के विरुद्ध शिकायत नहीं की है । विपक्षी नं०-1 और परिवादी के बीच मोबाइल का क्रय-विक्रय हुआ था । इसमें विपक्षी नं०-3 द्वारा अपनी सेवा में कोई कमी कारित नहीं की गयी है ।

13- पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली पर उपलब्ध कागज सं०-7/1 से स्पष्ट होता है कि परिवादी द्वारा उक्त मोबाइल दिनांक 30-12-2022 को अंकन 75,000/-रु० में विपक्षी नं०-1 के यहाँ से क्रय किया गया है । उक्त दिनांक को परिवादी द्वारा प्रश्नगत मोबाइल क्रय किये जाने के तथ्य की पुष्टि होती है । परिवादी का यह कथन कि विपक्षी सं०-2 द्वारा उसके मोबाइल को बिना ठीक किये यह कहकर वापस कर दिया कि इस मोबाइल की एक वर्ष की वारण्टी दिनांक 14-11-2023 को समाप्त हो गयी है, क्योंकि विपक्षी सं०-2 द्वारा उक्त मोबाइल को क्रय किये जाने के सम्बन्ध में ऑन लाईन चैक किया तो उसमें उक्त मोबाइल की एक वर्ष की वारण्टी दिनांक 14-11-2022 से प्रारम्भ होकर दिनांक 14-11-2023 को समाप्त हो चुकी है । उक्त तथ्य की पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध कागज सं०-7/2 से होती है । जबकि परिवादी द्वारा उक्त मोबाइल को विपक्षी सं०-1 से दिनांक 30-12-2022 को क्रय किया गया है और बिल में भी वहीं तिथि अंकित है ।

सामान्यतः परिवादी को वारण्टी का लाभ वास्तविक खरीद की तिथि से मिलना चाहिए था परन्तु विपक्षी सं०-2 द्वारा उक्त मोबाइल, जो उसे रिपेयर करने के लिए दिया था, को यह कहकर वापस कर दिया कि उक्त मोबाइल की एक वर्ष की वारण्टी दि०-14-11-2023 को समाप्त हो गयी है । जबकि परिवादी उक्त मोबाइल को लेकर विपक्षी नं०-2 के पास दिनांक 24-11-2023 को रिपेयर कराने हेतु गया था । परिवादी के द्वारा कय किये गये मोबाइल के बिल के अनुसार उक्त मोबाइल दिनांक 24-11-2023 को वारण्टी की अवधि में ही था । विपक्षी नं०-2 ने अपने उक्त प्रपत्र कागज सं०-7/2 में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि उक्त मोबाइल की एक वर्ष की वारण्टी अवधि दिनांक 14-11-2022 से 14-11-2023 तक थी । विपक्षी सं०-1 व 2 परिवाद में उपस्थित नहीं आये हैं । उनके विरुद्ध परिवाद की कार्यवाही एकपक्षीय रूप से संचालित की गयी है ।

14- विपक्षी सं०-3 द्वारा प्रस्तुत उत्तर-पत्र में किये गये कथनों से स्पष्ट है कि विपक्षी सं०-3 व परिवादी के बीच कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि परिवादी द्वारा मोबाइल विपक्षी सं०-1 से कय किया गया है । परिवादी ने अपने परिवाद एवं साक्ष्य शपथपत्र में उक्त कथन को स्पष्ट रूप से अंकित भी किया है । उक्त मोबाइल के सम्बन्ध में वारण्टी अवधि के अन्तर्गत त्रुटि/समस्या होने पर विपक्षी सं०-3 जिम्मेदार होता परन्तु उक्त मोबाइल की वारण्टी दि०-14-11-2023 को ही समाप्त हो गयी थी और परिवादी द्वारा उक्त मोबाइल को ठीक कराने के लिए दिनांक 24-11-2023 को विपक्षी सं०-3 के अधिकृत सर्विस सेन्टर (विपक्षी नं०-2) पर लाया था, जोकि वारण्टी अवधि समाप्त होने के बाद की तिथि है । इससे विपक्षी नं०-3 द्वारा अपनी सेवा में कमी करना दर्शित नहीं होता है, क्योंकि डीलर ने परिवादी को पूर्व में सक्रिय मोबाइल को दि०-30-12-2022 को नया कहकर बेचा था, जिसमें विपक्षी नं०-3 की कोई भूमिका दर्शित नहीं होती है ।

15- इस सन्दर्भ में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा **Tata Motors Ltd Vs Antorio Paulo Vaz Civil Appeal No 574 of 2021** में यह निर्णित किया गया है कि “यदि निर्माण और डीलर का सम्बन्ध प्रिंसिपल-टू-प्रिंसिपल है तो डीलर द्वारा की गयी गलत बिक्री या गलत प्रस्तुति के लिए निर्माता को स्वतः जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है । निर्माता का दायित्व मानने के लिए सिद्ध करना आवश्यक है कि निर्माता को डीलर के कृत्य की जानकारी थी या वह उसके प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से शामिल था” । परन्तु इस परिवाद में परिवादी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह सिद्ध हो सके कि डीलर द्वारा परिवादी के साथ किये गये अनुचित व्यापार-व्यवहार का ज्ञान विपक्षी नं०-3 को था और न ही परिवादी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया, जिससे यह सिद्ध हो सके कि डीलर द्वारा उक्त मोबाइल को पूर्व में

सक्रिय किये जाने की जानकारी विपक्षी नं०-3 को दी गयी थी ।

16— इस प्रकरण में विपक्षी नं०-3 की प्रत्यक्ष भूमिका का स्पष्ट रूप से कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है । मात्र निर्माता होने के आधार पर विपक्षी नं०-3 को डीलर के कृत्य के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है और न ही परिवादी ने विपक्षी नं०-3 के उत्तर-पत्र समर्थित शपथपत्र के कथनों का कोई खण्डन किया है । इस प्रकार उपरोक्त परिवाद में विपक्षी नं०-3 की ओर से परिवादी के प्रति सेवा में कमी किया जाना सिद्ध नहीं होता है ।

17— पत्रावली पर उपलब्ध बिल से यह सिद्ध होता है कि परिवादी ने मोबाइल को क्रय किये जाने से पूर्व सक्रिय नहीं कराया था । बल्कि मोबाइल को पूर्व में सक्रिय किये जाने एवं वारण्टी अवधि के सम्बन्ध में सही तथ्यों की जानकारी विपक्षी नं०-1 द्वारा परिवादी को नहीं दी गयी । अतः विपक्षी सं०-1 का उक्त कृत्य अनुचित व्यापार-व्यवहार एवं सेवा में कमी का द्योतक है ।

18— इस परिवाद में विपक्षी नं०-1 व 2 पर्याप्त अवसर दिये जाने के बाद भी अपना कोई पक्ष रखने हेतु आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हुए । अतः विपक्षी नं०-1 व 2 के विरुद्ध परिवाद की कार्यवाही आयोग के आदेश दिनांकित 29-07-2026 के द्वारा एकपक्षीय रूप से अग्रसारित की गयी है ।

19— उपरोक्त विवेचन के आधार पर पीठ का अभिमत है कि परिवादी द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध कराये गये अभिवचनों एवं साक्ष्यों से विपक्षी नं०-1 द्वारा सेवा में कमी किया जाना सिद्ध होता है तथा विपक्षी नं०-2 व 3 द्वारा सेवा में कमी किया जाना सिद्ध नहीं होता है । अतः ऐसी स्थिति में परिवादी का यह परिवाद विपक्षी नं०-1 के विरुद्ध एकपक्षीय रूप से सव्यय स्वीकार किये जाने योग्य है तथा विपक्षी नं०-2 व 3 के विरुद्ध परिवाद निरस्त व समाप्त होने योग्य है ।

आदेश

परिवादी का परिवाद विपक्षी नं०-1 (डीलर) के विरुद्ध एकपक्षीय रूप से सव्यय स्वीकार किया जाता है तथा विपक्षी नं०-2 व 3 के विरुद्ध निरस्त व समाप्त किया जाता है ।

विपक्षी नं०-1 (डीलर) को आदेशित किया जाता है कि वह आदेश की तिथि से 45 दिन के अन्दर प्रश्नगत मोबाइल की निःशुल्क मरम्मत/रिपेयर कराकर परिवादी को सही स्थिति में उक्त मोबाइल उपलब्ध कराएँ और मोबाइल सही न होने की स्थिति में उसके बदले समान गुणवत्ता एवं समान मूल्य का नया मोबाइल सैट परिवादी को प्रदान करें,

अन्यथा की स्थिति में विपक्षी नं०-1 प्रश्नगत मोबाइल की कीमत 75,000/-रु० का भुगतान 06 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से (परिवाद प्रस्तुत करने की तिथि से अन्तिम अदायगी की तिथि तक) परिवादी को प्रदान करने का अधिकारी होगा । इसके अतिरिक्त वह मानसिक सन्ताप के रूप में अंकन 10,000/-रु० (दस हजार) और वाद व्यय के रूप में भी अंकन 5,000/-रु० (पांच हजार) की धनराशि का भुगतान परिवादी को उपरोक्त समयान्तर्गत करना सुनिश्चित करें ।

उक्त आदेश का अनुपालन निर्धारित समयावधि में न करने की स्थिति में विपक्षी नं०-1 (डीलर) उक्त समस्त आदेशित धनराशि का भुगतान 08 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से परिवादी को अदा करने हेतु उत्तरदायी होगा ।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-2019 के अन्तर्गत इस निर्णय की एक-एक प्रति उभय पक्षों को निःशुल्क उपलब्ध करायी जाये तथा इस निर्णय को पक्षकारों के अवलोकनार्थ आयोग की वेबसाइट पर तुरन्त अपलोड करना सुनिश्चित करें ।

(रंजना गोयल)

(डा० अमरेश रावत)

(गगन कुमार गुप्ता)

सदस्य

सदस्य

अध्यक्ष

दिनांकित-19-08-2026

आज यह निर्णय एवं आदेश जिला आयोग द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर उद्घोषित किया गया ।

(रंजना गोयल)

(डा० अमरेश रावत)

(गगन कुमार गुप्ता)

सदस्य

सदस्य

अध्यक्ष

दिनांकित-19-08-2026